न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

22-12-14 प्रकरण कमांक R 4250/I//2014 पुनरीक्षण

22-12-14

4.45 P.M

S.K. Shrivastava

पूरनसिंह पुत्र श्री सुन्दरलाल कुशवाह आयु– 65 साल व्यवसाय– काश्तकारी निवासी– ग्राम व पोस्ट कदवाया, तहसील ईसागढ़, जिला अशोक नगर, म0प्र0 ----आवेदक

बनाम

1. महेश पुत्र श्री नवल किशोर
2. श्रीमती गंगाबाई पत्नी श्री ओमप्रकाश सोनी निवासीगण– ग्राम व पोस्ट कदवाया, तहसील ईसागढ़, जिला अशोक नगर, म0प्र0
3. म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर, म0प्र0 ---अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50, सहपठित धारा 8 एवं 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनाक 30/7/2014 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार, तहसील ईसागढ़ अशोक नगर के प्रकरण कमांक 1249/बी–121/2013–14 व उनवान पूरनसिंह कुशवाह

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, प्रकरण में विवादित कृषि भूमि सर्वे कमांक 1030 रकवा 3.219 हैक्टर स्थित ग्राम कदवाया,

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./4250/एक/2014 जिला अशोकनगर

पूरनसिंह विरुद्ध महेश आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार ईसागढ़, जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक- 1249/बी-121/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30/09/2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 23/7/19 को कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 3/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	